क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– Child Health Training

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक–2 के आधार पर) : **ToT on IMNCI**

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर) : **A.9.5.1.1**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्वेश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्वेश्य यह हैं कि शिशु मृत्यु दर को कम करना एवं भारत सरकार द्वारा दिये लक्ष्य को प्राप्ति करना। शिशु मृत्यु दर के कारणो पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट होता हैं कि जन्म के एक साल के भीतर मरने वाले बच्चों में प्रथम सात दिन एक महत्वपूर्ण समय होता है। शोध से यह स्पष्ट हैं कि जन्म के प्रथम सप्ताह में 50% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जिसके मुख्य कारणो में Neonatal Septicemia, Birth Asphyxia, Hypothermia आदि है। यदि इन बीमारियों का प्रबंधन समुदाय एवं परिवार के स्तर पर ससमय सुनिश्चित किया जाय तो हम आसानी से उन बच्चों को जीवन दे सकते है जिनकी मृत्यु एक माह के भीतर हो जाती है। यह अन्ततः राज्य के शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायक होगा। इस हेतु यह प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षिकों का प्रशिक्षण किया जाता है।

इकाई राशि (रू० में) : 146600/- प्रति बैच।

वित्तीय दिशा निर्देश :

स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षको का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की अवधि 8 दिवसीय होगी एवं यह प्रशिक्षण जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयोजित किया जायेगा। यदि उक्त स्थलों पर स्थान का आभाव हैं तो जिला मुख्यालयों में अन्य स्थलो का प्रशिक्षण के लिए चुनाव किया जा सकता है जहॉ आठ दिनों तक लगातार प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित किया जा सके। इस प्रशिक्षण में मुख्य प्रतिभागी चिकित्सा पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षकों, हेल्थ एजुकेटर, स्वयं सेवी संस्थान के प्रतिनिधि, स्वतंत्र प्रशिक्षक (फिलान्सर) एवं एल0एच0वी0 होंगे। इस प्रशिक्षण के नोडल पदाधिकारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी/अपर मुख्य चि0पदा0/सिविल सर्जन अथवा सिविल सर्जन द्वारा नामित चिकित्सा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम प्रबंधक हो सकते है जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ससमय दिये गये लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु जवाबदेह होंगे। जिला स्तर पर इस प्रशिक्षण हेतु एक नोडल पदाधिकारी का चयन कर राज्य स्वास्थ्य समिति को इसकी सूचना दी जाए एवं जिला स्वास्थ्य समिति नामित पदाधिकारी के माध्यम से ही सभी प्रशिक्षणों को संचालित करेगी। नामित नोडल पदाधिकारी उपर्युक्त गतिविधियों के प्रस्ताव की संचिका जिला स्वास्थ्य समिति को उपस्थापित करेंगे, इसके आधार पर उन्हें अग्रिम राशि देय होगी और प्रशिक्षण आबाध गतिविधि से किया जा सकेगा । प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् प्रशिक्षुओं का डाटा/व्यय विवरणी प्रदान करने की जवाबदेही संबंधित नोडल पदाधिकारी की होगी। सम्बंधित नोडल पदाधिकारी डाटा/व्यय विवरण जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायेंगे। जिला स्वास्थ्य समिति ससमय मासिक प्रशिक्षण प्रतिवेदन एवं FMR में इसकी प्रवृष्टि कर राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजेंगे।

सुविधा हेतु मदवार प्रशिक्षण का व्यय दिशा निर्देश संलग्न है ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा० जयती श्रीवास्तव, उपनिदेशक–प्रशिक्षण
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 0612-3244041, 9470003019

SKumar Jayati

IMNCI TOT for Health Workers				
IMNCI TOT for Health workers Non residential: (24 particpants, 6 facilitators: 3 medicos and 3 non medicos & 2 clinical facilitators)				
Particulars	**Unit**	**Units Required per batch**	**Cost per Unit**	**Total per batch**
Hiring cost - Video player (3 TV/VCD playerfor 7 days)	video days	21	200	4200
Venue cost (3 hall for 8 days@ Rs. 600 per day)	3 halls/ day	24	600	14400
Stationary (copy, pen, marker, ...) (24 participant X Rs. 75/-)	1 set/participant	24	75	1800
Participant (food, etc) (24 participant X 8 days)	participant days	192	200	38400
Participant Travel Cost (per day) (Particiapnt 24) x (Rs. 100 /- for To and Fro)	participant days	192	100	19200
Facilitator (Food) (6 facilitators x 8 days)	facilitator days	48	200	9600
Facilitator Travel (06 Facilitator@Rs. 150/- per day for To and Fro)	facilitator days	48	150	7200
Facilitator Honorarium @ Rs. 600/- per day (6 facilitators per day)	sessions	48	600	28800
Clinical Facilitator Honorarium (@Rs. 300 per day (2 facilitators per day x 3days)	sessions	6	300	1800
Mobility (4 vehicle for 7 days)	vehicle days	28	700	19600
Contingency (Rs 200 per day for 8 days)				1600
Total				**146600**

S Kumar

Jayati